कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या–153/16 तिथि–17.02.2017

अज्ञात व्यक्ति बनाम कार्य0 पदा0, कुढ़नी एवं अन्य (अख्तियारपुर परैया)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

–: निर्णय :–

किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दूरभाष पर कुढ़नी प्रखंड के अख्तियारपुर परैया पंचायत में मनरेगा भवन निर्माण में अनियमितता एवं गबन किए जाने की सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पंचायत के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, कुढ़नी को नोटिस जारी की गयी।

इसके जवाब में सहायक अभियंता, कुढ़नी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुढ़नी प्रखंड में अख्तियारपुर परैया पंचायत अंतर्गत अख्तियारपुर परैया चौक पर मनरेगा भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण संबंधित कनीय अभियंता एवं पंचायत रोजगार सेवक के साथ संयुक्तरूप से किया गया। निर्माण स्थल पर किसी भी तरह का संरचना मनरेगा भवन से संबंधित नहीं पाया गया। निर्माण स्थल पर सामग्री भी नहीं पाया गया।

संबंधित रोकड़ पंजी एवं योजना पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि योजना सं0–11/13–14 राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन) के निर्माण मद में तीन बार क्रमशः 2500.00, 25000.00 एवं 500000.00 रु0 (कुल 77500.00) की निकासी चेक के माध्यम से की गयी है। इस संबंध में पंचायत रोजगार सेवक, अख्तियारपुर परैया, कुढ़नी ने प्रतिवेदित किया है कि मनरेगा भवन की वर्तमान स्थिति के संबंध में सहायक अभियंता एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा पूर्व में जाँच किया गया था जिसमें स्थल पर सामग्री नहीं होने की सूचना दी गयी थी। परन्तु बाद में पता चला कि सामग्री सचमुच में गिरा था और सानग्री की सुरक्षा के ख्याल से बगल के दरवाजे पर रखा गया था। यदि आदेश दी जाए तो यह भवन लगभग 15 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा क्योंकि पूर्व में भवन बनाने के संबंध में ग्रामीणों का विवाद था वह अब समाप्त हो गया है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या मनरेगा भवन के निर्माण हेतु तत्कालीन क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद भी निर्माण न करा कर पैसे का गबन किया है। इसमें तत्कालीन मुखिया की क्या जिम्मेदारी है? यदि हो तो इसके लिए क्या दण्ड निर्धारित किया जाए?

–: निष्कर्ष :–

इस संदर्भ में जब जाँच हेतु सहायक अभियंता, कुढ़नी श्री प्रमोद कुमार को आदेश दिया गया तो उन्होंने स्थल पर जाकर जाँच किया जिसके अनुसार निर्माण स्थल पर मनरेगा भवन से संबंधित कोई संरचना नहीं थी न ही वहाँ कोई निर्माण सामग्री थी। अतः योजना सं0–11/13–14 की योजना पंजी और रोकड़ पंजी मंगाई गयी और उसका अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार चेक सं0–266874 दिनांक–25.03.2014 द्वारा राय आर्ट को 2500.00 रु0 तथा दिनांक–24.04.2014 को चेक सं0–266876 द्वारा दुर्गा इन्टरप्राईजेज को 25000.00 रु0 एवं उसी तिथि यानि दिनांक–24.04.2014 को ही चेक सं0–266877 द्वारा 50000.00 रु0 यूनिक ब्रिक्स को भुगतान किया गया था जबकि स्थल पर न तो कोई बोर्ड है न ही कोई भवन सामग्री है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा एवं